गयी थी । सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने अब यह सूचित किया है कि श्री सामी जे० पटेल को 31 मार्च, 1970 को कारबार की समाप्ति के समय, उन के कार्य-भार से मुक्त किया गया था । मैं यह वक्तव्य अभिलेख में शुद्धि करने के लिये दे रहा हूं । पहले के वक्तव्य में अशुद्धि के लिए मुझे खेद है ।

11.47 hrs.

CRIMINAL LAW (SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. (*Interruptions*). t

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेरी बात थोड़ी सुन लीजिए । पहले मोशन मूव होता है उस के बाद ही यह आता है । जब चीज ही कुछ नहीं है हाउस के सामने तो आप क्यों खड़े हैं । कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर फालो करिए । मैं किसी तरह कोई रेफ्लेक्शन नहीं करता हूं लेकिन जितने बाहर से आते हैं वह मुझ से पूछते हैं कि यह क्या होता है ? मैं भी बाहर गया हूं और मैंने देखा है वहां कभी ऐसा नहीं होता....

एक माननीय सदस्य : आप जापान गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं गया हूं और आप जैसे बहुत कम हैं वहां । मेरे से भी लोग बड़ी हमदर्दी करते हैं और आप से भी करते होंगे । लेकिन कुछ इसको पार्लियामैंट रहने दीजिए । इसकी शकल क्यों बिगाड़ रहे हैं आप ?

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): No such Parliament has such a resourceful Speaker, Sir.

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर का तो यह है कि किसी दिन हाथ जोड़ कर मैं यह स्पीकरी भी छोड़ जाऊंगा और मेम्बरी भी छोड़ जाऊंगा, ऐसी मेरे दिल में आती है..

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप मत जाइए । आप कहिए तो इनको निकाल देंगे हम ।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): We appreciate your feelings, Sir.

अध्यक्ष महोदय : अब मिर्धा साहब ने जो यह मोशन मूव किया है इस पर कंवरलाल गुप्त भी कहना चाहते है, प्रकाश वीर शास्त्री भी कहना चाहते हैं और अनेक मेम्बर हैं जो कहना चाहते है । तो जो भी कहना है वह कह लें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा ।

श्री राम निवास मिर्धा जो विधेयक सदन के सामने पेश करना चाहते है मैं उसका विरोध करन के लिए खड़ा हुआ हूं । सामान्य रीति से जब विधेयक पेश किया जाता है तो उसका विरोध नहीं होता है । लेकिन यह विधेयक जिस प्रकार का है उस में उस के सिवाय हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि हम इस स्थिति में और इसी स्तर पर उसका विरोध करें । मेरे विरोध के कारण "संवधानिक हैं, प्रक्रिया संबंधी है और राजनैतिक भी है । मेरा निवेदन है कि यह विधेयक असंवधानिक है, लोकतंत्र विरोधी है, जनाधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है और प्रतिपक्ष को कुचलने के लिए सत्ता के हाथ मे असीमित

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2. dated 3-9-1970.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अधिकार देने का प्रयत्न करता है । संविधान में नागरिकों को यह मूलभूत अधिकार मिला है कि वे शांति-पूर्ण रीति से एकित्र हो सकें और अपना संगठन और यूनियन बना सके । मूल भूत अधिकारों के अन्तर्गत भी नागरिकों को हक है कि :

"to assemble peaceably and to form associations or unions.".

यह हमारा मूल भूत अधिकार है । यह ठीक है कि संविधान ने इस अधिकार पर मर्यादायें लगाई हैं । एक मर्यादा यह है कि अगर कोई संगठन राष्ट्र की सर्वप्रभुता अखण्डता के खिलाफ काम करें तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है । इसी लिए संसद ने अनलाफुल एक्टविटीज एक्ट पास किया था जिसका उद्देश्य था उन दलों को अवैध घोषित करना जो भारत के किसी भू-भाग को किसी विदेशी को सौंपना चाहते हैं । लेकिन अब संविधान के दायरे का उल्लंघन कर के संगठन बनाने के लिए मूल भूत अधिकार को कुचलने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है । यह विधेयक संविधान-सम्मत नहीं है । यह विधेयक असंवधानिक है । इस सदन मे और बाहर भी जब जब सरकार से पूछा गया कि क्या वह किसी संगठन को गैर-कानूनी करने का विचार कर रही हैं तो सरकारी प्रवक्ताओं ने उत्तर दिया संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता । लेकिन आज संविधान को ताक में रख कर एक सामान्य कानून लाकर संगठनों के अस्तित्व को समाप्त करने का षड़यंत्र किया जा रहा है ।

इस विधेयक के दो भाग हैं । एक इंडियन पीनल कोड के 153(ए) में यह विधेयक संशोधन का । सद की जानकारी के लिए मैं उस को पढ़कर सुनाना चाहूंगा—आप मुझे इतना समय दे । 153 (ए) इस प्रकार है :

"Whoever, by words either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religious, racial or language groups or castes or communities or commits any act, which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial or language groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.".

इसका अर्थ यह है कि यह धारा व्यक्तियों पर लागू होगी, संगठनों पर नहीं । यदि कोई व्यक्ति घृणा का प्रचार करता है, विभिन्न साम्प्रदायों में, चाहे वह भिन्न भाषा बोलने वाले हों या भिन्न धर्मों का अवलंबन करने वाले हों, यदि वह तनाव पैदा करता है तो वह कानून के अनुसार दण्डनीय है, उसे तीन साल तक की सजा दी जा सकती है । अभी तक यह कानून व्यक्तियों तक सीमित था लेकिन अब इस कानून के दायरे को बढ़ाया जा रहा है । पार्टियों को, चाहे वह राजनीतिक हों अथवा गैर-राजनीतिक हों तथा अन्य संगठनों को उसके दायरे में लाया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार अधिकार ले रही है कि ऐसे संगठनों को अ र घोषित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, जब अनलाफुल एक्टिविटीज बिल इस सदन में आया था तो इस तरह की एक धारा उसमें थी । श्री यशवंतराव चव्हाण उस समय उस विधेयक का इस सदन में संचालन कर रहे थे । वह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था । सेलेक्ट कमेटी में यह मत बना था जिसकी सदन ने भी बाद में पुष्टि की कि यह संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने का विधेयक केवल उन्हीं संगठनों तक सीमित रहना चाहिए जो कि भारत के

किसी भू-भाग को दूसरे देश को देना चाहते हैं जो कि देश की अखंडता और सर्वप्रभुता के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं । मैं नहीं जानता कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें यह विधेयक लाया जा रहा है ? सदन को यह जानने का अधिकार है कि अनलाफुल एक्टिविटीज ऐक्ट के अन्तर्गत प्लेबिसाइट फ्रन्ट को अवैध घोषित किया जा सकता था मगर उसे अवैध घोषित क्यों नहीं किया गया ? क्या प्लेबिसाइट फ्रन्ट जम्मू कश्मीर को भारत से बाहर नहीं ले जाना चाहता ?

इससे भी गम्भीर बात आज देश के सामने और है। वह खतरा है नक्सलवादियों का जोकि चीन के राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति बता रहे हैं, जो चीन के पथ को अपना पथ बता रहे हैं, जो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं और राजनीतिक हत्यायें कर रहे हैं । आपको सुनकर ताज्जुब होगा और दुख भी होगा कि नक्सलवादियों की गतिविधियां हमारी सेनाओं में भी पहुंच गई हैं । थोड़े दिन पहले जल सेना के 36 जहाजों पर नक्सलवादी पोस्टर लगे हुए पाये गए । जल सेना के इन जहाजों में हमारा आई एन० एस० विक्रान्त भी था । ये पोस्टर एक दिन में लगाये गए । 36 जहाजों पर ये पोस्टर एक साथ लगे हुए पाये गए । क्या यह समझना चाहिए कि इन जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों में नक्सलवादियों ने प्रवेश किया है ? उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? वायु सेना में भी नक्सलवादी घुस रहे हैं । इस बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है । समाचारों को दबाया जा रहा है । अभी हलवाड़ा हवाई अड्डे से भारत की वायु सेना का जो जहाज उड़ा था और जो बीच में टूट कर गिर गया वह खबर छिपाई गई, वह खबर छपने नहीं दी गई क्योंकि जहाज के टूटने का कारण सेबोटेज था, तोड़-फोड़ थी । मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अभी इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन का जो विमान आसाम में ध्वस्त हुआ है उसके पीछे भी नक्सलवादियों की गतिविधियों की शंका की जा रही है, सन्देह किया जा रहा है ।

आज देश को अखंडता, स्वतन्त्रता और लोकतांत्रिक ढांचे को नक्सलवादियों से खतरा है । प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था, गृह मन्त्रालय की कन्सल्टेटिव कमेटी में कि नक्सलवादियों के खिलाफ कोई कानून बनाया जायेगा लेकिन वह कानून कहां है ? नक्सलवादियों के खिलाफ कोई कानून नहीं है और अब ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी परिधि से कोई भी दल बचने वाला नहीं है। हमारे डी० एम० के० के मित्र सावधान रहें, वे भी 153-ए की पकड़ में आ सकते हैं । अकाली दल, शोषित दल, किसी भी दल.... (**व्यवधान**)....आर० एस० भी है और भारतीय जनसंघ भी है ।.... (**व्यवधान**)....

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सिर्फ चाइनीज एजेन्ट को छोड़ कर । .... (**व्यवधान**)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महाराष्ट्र में जिस शिव सेना के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबन्धन करके बैठी है वह भी इसमें आ सकता है । प्रश्न यह है कि इस विधेयक के लाने का औचित्य क्या है ? इस विधेयक को लाने के पहले प्रधान मन्त्री ने सर्वदलीय नेताओं की बैठक क्यों नहीं बुलाई ? आखिर साम्प्रदायिकता क्या है ? कौन यह निर्णय करेगा कि कौन साम्प्रदायिक है ? मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक है या नहीं ? उस मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन करने वाले साम्प्रदायिक हैं या नहीं ? उस गठबन्धन के फलस्वरूप मुस्लिम लीग को सारे देश में फैलाने वाले इस देश की अखंडता के खिलाफ साजिश करने के दोषी हैं या नहीं ? क्या यह निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को दे दिया जायेगा—उस सरकार को जो कि अल्पमत सरकार है ? यह मांग की गई थी कि साम्प्रदायिकता क्या है, साम्प्रदायिक दल कौन है उसकी परिभाषा करने के लिए एक इन्डिपेन्डेंट ट्रिब्यूनल बिठाया जाये लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सरकार ऐसे अधिकार लेना चाहती है जिससे अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन इस प्रकार का अधिकार सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो अधिकार दिया गया था उसका उपयोग नहीं किया गया और जो अधिकार मांगे गए हैं उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि यह विधेयक वापिस लें नहीं तो इस विधेयक को इस सदन को ठुकराना पड़ेगा, इसी स्टेज पर।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : हमें भी इजाजत दीजिए क्योंकि यह संविधान का मामला है। पहले जिन्होंने नाम दिए हैं वह बोलें और बाद में हमें बुलाया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह एक ब्लैक बिल है, डिमोक्रेसी पर एक काला बिल है और डिमोक्रेसी पर बड़ी भारी चोट है। यह कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है.... (**व्यवधान**).... क्योंकि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 19 के अन्दर पर्सनल फ्रीडम और फ्रीडम आफ एसोसिएशन, यह दो मौलिक सिद्धान्त माने गए हैं। यह बात सही है कि उसमें कुछ रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन्स भी हैं लेकिन यह जो बिल है वह रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन्स के परे जाता है। आपको मालूम होगा अगर कोई आदमी शांति को भंग करता है तो उसको सजा दी जा सकती है।.... (**व्यवधान**)....

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): On a point of order. Opposition to the introduction of a Bill can only be on the ground of the constitutional competence of this House to consider it. As to whether the Bill is constitutional or otherwise, will be decided by the judiciary. Only the question whether the House is competent under the Constitution to discuss it can be raised now. He wants to say that it is not constitutional. That is not the ground on which the introduction of a Bill can be opposed.

12 hrs.

MR. SPEAKER: He has referred to article 19 and he is explaining it, and you got up on a point of order. I am judging it.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि फंडामैंटल राइट जो हमारा है, मौलिक सिद्धान्त जो हमारा है उसको यह सदन चेंज नहीं कर सकता है। अब जैसे कोई कानून तोड़ कर यदि शान्ति भंग करता है तो उसको सजा मिलती है आज के कानून के मुताबिक या जिसकी कि एक्टिविटीज के कारण शान्ति भंग होने का एप्रीहेंशन हो वह दफा 144 आज भी है और वह इस फंडामेंटल राइट के अन्दर आती है लेकिन यह जो बिल है वह उस को एक्सीड करता है। मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं। उसका यहां पर कोट करना जरूरी है :

"engages or participates in any exercise, movement, drill or other similar activity, which, for any reason whatsoever.

कोई भी उसका कारण हो। उसका कारण कुछ भी हो

"causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of any religious . . ."

यहां कोई भी कारण हो अगर दूसरा आदमी डर जाता है तो उसके ऊपर सजा दी जा सकती है। मान लीजिये चव्हाण साहब हैं, बड़ी कुश्ती लड़ते हैं, अगर यह चव्हाण साहब लंगोटा पहन कर खड़े हो जायें और उससे कोई आदमी डर जाय तो इनको भी इस कानून के अन्दर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी की शकल ही इतनी डरावनी हो कि अगर वह खड़ा हो जाय तो दूसरा उसे देख कर

ही डर जाये तो उसे भी सजा दी जा सकती है । इसलिये मेरा कहना यह है कि जो अनलाफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट न करे उसे सजा दे दी जाय इस तरह तो वह ठीक नहीं होगा । यहां कसूर क्या है और आखिर किस चीज के लिए सजा दी जा रही है ? अब यदि कोई ड्रिल कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, योगासन कर रहा है । उस ने कोई शान्ति भंग नहीं की है लेकिन चूंकि दूसरा आदमी डर रहा है इसलिए उसको पकड़ा जाना चाहिए । यह बिल इसलिए लाया जा रहा है । दरअसल जो संस्थाएं बढ़ रही हैं, जनप्रिय हो रही हैं और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से डर कर ही यह सब कुछ किया जा रहा है । यह पोलिटिकल वैंडैटा है ।

दूसरी चीज असोसियेशन के बारे में जो इसमें कही गई है वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं :

"which has for its object any activity which is punishable under section 153A of the Indian Penal Code, or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity:"

अगर दो मैम्बर भी कोई गलत काम कर देंगे, मान लीजिये कोई दो गलत आदमी मिल गये तो वह सारी एसोसिएशन बैन हो सकती है । इसलिए हमारा यह जो फंडामैंटल राइट है फ्रीडम आफ असोसिएशन का उस पर भी कुठाराघात है । यह एक मैलाफाइडी इंटेंशन से हुआ है । इस प्रकार का बिल आज तक नहीं सुना गया है । मैं इतना ही कह कर खत्म करूंगा कि जब नक्सलवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सारी पार्टियों की तरफ से मांग है तब तो वह बिल लाते नहीं हैं । उसके बारे में तो सरकार और प्रधान मंत्री सो रही हैं लेकिन यह आर० एस० एस० का जो उनके दिमाग में हव्वा घुसा हुआ है, यह वह आर० एस० एस० और कुछ पार्टियों का जो उनके दिमाग में एक हव्वा घुसा हुआ है उसके कारण और पोलिटिकल वैंडैटा के कारण सरकार यह बिल लाई है और मैं इसके पेश किये जाने का घोर विरोध करता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े संक्षेप में केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं । पहले तो मेरा निवेदन यह है .....

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपको इसके लिए दस बजे सुबह ही नोटिस दे दिया था पता नहीं वह कहां अटक कर बीच में रह गया तो आप तक उसका समय पर न पहुंचना यह तो एक अनुचित बात है बाकी अध्यक्ष महोदय, मुझ पर विश्वास करें कि मैंने स्वयं इसे 10 बजे दे दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं खुद बड़ा हैरान था कि माननीय सदस्य का नोटिस आखिर क्यों नहीं आया बहरहाल माननीय सदस्य धीरज रखें क्योंकि मैंने यह उसूल बना रखा है कि जब भी ऐसे नोटिसेज आयेंगे उनमें माननीय सदस्य का नोटिस अवश्य होगा इसलिए यह हो या न हो मैं उन को जरूर बुलाऊंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इस प्रस्तावित विधेयक के विरोध में केवल तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने लोक सभा और राज्य सभा के इसी अधिवेशन में बड़े दृढ़ शब्दों में किन्हीं प्रसंगों में यह घोषणा की थी कि जो इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां हैं वे चाहे कलकत्ते में हों, आंध्र में हों या केरल में हों, उनको बड़ी सख्ती के साथ कुचलने के लिए सरकार कानून बनाने का फैसला कर रही है । हम इस प्रतीक्षा में थे कि सरकार शायद इसी संसद के अधिवेशन में ही कोई इस प्रकार का विधेयक लायेगी जिससे सरकार की दृढ़ता का पता लगे । लेकिन यह सख्ती महज उनके वैसा बोलने में ही थी व्यवहार में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

वह सख्ती नहीं थी । इसके प्रतिकूल एक दूसरा विधेयक जो आज आया है उस विधेयक के सम्बन्ध में पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इसमें व्यायाम पर प्रतिबंध लगाने वाली बात है, मुझे वह घटना याद आती है सन् 1947 से पहले की जब किसी ने जाकर थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई । उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हमारे पड़ोस में जिस आदमी का मकान है वह रोज सुबह छत पर खड़े हो कर कसरत करता है, दंड, बैठक करता है मुझे ख़तरा है कि वह किसी दिन मुझे मारे न इसलिए पड़ोसी के खिलाफ़ मेरी यह रिपोर्ट लिखी जाय । मेरा कहना यह है कि यह विधेयक भी इसी प्रकार की सम्भावनाओं पर आधारित है । अब सम्भावनाओं पर आधारित विधयक अगर संसद में आने लगेंगे तो मेरा अपना अनुमान है कि संविधान की आत्मा का हनन होगा ।

तीसरी सब से बड़ी चीज़ यह है जो कि मैं संविधान की धारा 47 को उद्धृत करते हुए कहना चाहता हूं :

> "राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा"।

स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व संविधान के अनुसार राज्य का है और अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रातःकाल कहीं जाकर व्यायाम आदि करता है या योगासन करता है तो उस संभावना से कि दूसरे आदमी को उनके व्यायाम को देख कर दर्द होता है इस तरह का विधेयक लाना संविधान की भावना के प्रतिकूल है । इस विधेयक को लाकर सरकार ने जहां संविधान की आत्मा की हत्या की है वहां मुझे एक बात की प्रसन्नता अवश्य है और मैं अपने मित्र श्री कंवर लाल गुप्त को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि वह इस दृष्टि से इस सरकार का आभार जरूर मानें कि जहां किसी बात का विरोध किया जाता है उतनी ही वह बात तेजी के साथ आगे बढ़ती है । इससे वह इंकार नहीं कर सकते हैं।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं इस बात को मानता हूं कि इन्ट्रोडक्शन स्टज पर बिल का अपोजीशन नहीं होना चाहिए । मैं इसे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी भी जातियां हैं, चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान या अन्य कोई, सभी जातियों के लोग देश में शान्तिपूर्वक रहें । अभी चन्द दिन पहले जब बिहार के शासन की बागडोर हमारे हाथ में आई थी तो ईद, बकरीद, होली आदि त्यौहारों पर हमने वहां शान्ति भंग न होने दी और हिन्दू, मुस्लिम दंगे वहां पर हमने नहीं होने दिये । लेकिन मैं देखता हूं कि यह बिल ख़तरे से खाली नहीं है । अगर इस किस्म का बिल यह सरकार लायेगी तो इसका मतलब साफ़ यही होगा कि ऐसी पोलिटिकल पार्टी . . . . .

MR. SPEAKER: What is the constitutional objection?

SHRI B. P. MANDAL: It is this. According to the Constitution of India we have got the right to organise ourselves in associations, in political parties. After the adoption of this Bill . . .

अध्यक्ष महोदय : मैरिट्स पर माननीय सदस्य तब बोलें जब इस पर डिस्कशन शुरू होगा । अभी तो इसके इंट्रोडक्शन के टेकनिकल पहलू पर ही वह अपने को सीमित रक्खे ।

श्री बि० प्र० मंडल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इस पर बोलने दीजिये । बिना मेरे बोले हुए आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं रेलैवेंट हूं या नहीं । मुझे आप पहले बोल

लेने दीजिये तब उसके बाद आप अपनी रूलिंग दीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझ माननीय सदस्य बतलायें कि वह किसके तहत कह रहे हैं ?

श्री बि० प्र० मंडल : मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इस बिल से पोलिटिकल पार्टीज के आर्गेनाइज करने में लोगों को असुविधा होगी । जब भारतीय संविधान के अनुसार दिये गये फंडामेंटल राइट के अनुसार कोई आदमी किसी पोलिटिकल पार्टी को आर्गेनाइज कर सकता है । इस बिल को पास करने के बाद अगर किसी पोलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट की पटरी नहीं बैठेगी तो वह धीरे धीरे उस पोलिटिकल पार्टी को पनपने नहीं देगी इस देश में । इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को यहां पर नहीं आना चाहिये ।

अगर इस विधेयक के एम्स एंड आब्जक्ट्स को भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कम्यूनल हारमोनी की तरफ उन का भी और हमारा भी ध्यान है लेकिन ऐन्टी नेशनल एक्टिविटीज में जो पोलिटिकल पार्टीज इस देश में इन्डल्ज करती हैं उन के प्रति यह ढीले पड़ते हैं । शायद उन के साथ सरकार की पटरी बैठती है । जो टेडेंसी गवर्नमेंट ने शुरू की है वह ठीक नहीं है । इससे पोलिटिकल पार्टीज को पनपने में दिक्कत होगी और देश क संविधान का हनन होगा । इसलिये मैं इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर इसका विरोध करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा हुआ है :

"Drills, exercises and other similar activities organised by communal and other divisive forces cause apprehension, fear or a sense of insecurity amongst members of the affected communities and also affect prejudicially the maintenance of public tranquillity. It is necessary, therefore, to make a specific provision in section 153A of the Indian Penal Code to deal with persons engaged in such activities."

देश में जहां पर भी साम्प्रदायिक झगड़े हुए उन से मालूम यह हुआ कि कुछ ऐसे दल हैं या कुछ ऐसे आर्गेनाइजशन्स हैं जिन के बारे में यह पाया गया, सरकार ने भी पाया और कुछ लोगों ने भी महसूस किया, कि उनका हाथ काफी है, चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो, उन दंगों में यह बात पाई गई । मैं फिलहाल किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लकिन अगर आप बाडी आफ दी बिल को देखें तो उस में लिखा हुआ है :

"'Unlawful association' means any association which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity;"

एक ट्रेड यूनियनिस्ट की हैसियहत से में आप से कहता हूं कि आजादी के बाद इस देश में कोई हड़ताल लीगल नहीं हुई आज तक । जो भी हड़ताल हुई है वह इल्लीगल हुई है ।

MR. SPEAKER: Do not discuss the merits of the Bill. What is the constitutional objection?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उसी पर आ रहा हूं । मैं कह रहा था कि मैं न यह देखा कि इस का नाजायज फायदा उठाया जायगा । अनालाफुल एक्टिविटीज के बारे में जो बिल आया था, हम ने उस का विरोध किया था मैं चाहता हूं कि यहां जो कम्यूनल आर्गेनाइशन्स हैं उन पर प्रतिबन्ध हो, लेकिन इस का नाजायज फायदा उठा कर अगर इस तरह का स्वीपिंग बिल आ जायगा तो वह गलत होगा ।

मेरा निवेदन है कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है । आज हम इस के बारे में सोच नहीं सकेंगे । राजनीतिक दलों से डिस्कशन

[श्री स० मो० बनर्जी]

नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री या ग्रह मंत्री इस सत्र में इस को स्थागित रखें और अगले सत्र में सारे लोगों को बुलाकर उन से बात चीत कर के और राय कर के फ़ैसला करें वर्ना इस तरीक़े से तो यह होगा कि राजनीतिक जीवन में जहां सत्याग्रह होता है धरना होता है, वह भी अनलाफुल एक्टिविटी हो जायेगा। जिन हाथों में सत्ता की बागडोर है वह जितने भी विरोधी हैं उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं दो बातों के ऊपर इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि क्लाज (2) में कहा गया है कि :

> "Engages or participates in any exercises, movement, drill, or other similar activity," etc.

यह बहुत एलास्टिक है। इस से संविधान की जो धारा 19 (बी) और (डी) है उस पर आघात होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यह विधेयक न हो तो क्या होगा। हम लोगों ने महरौली पर प्रदर्शन किया था। वहां हम लोग 23 तारीख को इकट्ठे हुए। हम लोग शांतिमय तरीक़ से बढ़ रहे थे। हमारे पास कोई हथियार नहीं था। कोई गड़बड़ी करने का हमारा इरादा नहीं था, हम लोग सड़क पर बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय हमारा जो अधिकार था 19 (बी) और (डी) के मुताबिक उस को मिसइंटरप्रेट कर के सरकार ने हम को गिरफ्तार किया और हमारे मूवमेंट को रोक दिया। इस का मतलब यह है कि जितन कानूनी अधिकार हमारे पास हैं वह हमारे लिये काफी हैं।

यदि सरकार समझती है कि किसी काम से साम्प्रदायिक एक्टिविटी और विवाद होंगे जो सरकार उस को दबा सकती है। इस प्रकार का एलास्टिक कानून बनाकर मैं समझता हूं कि कम्यूनल एक्टिविटीज से, साम्प्रदायिक और रीजनल विवादों को नहीं निपटायेगी बल्कि जो आर्थिक लड़ाइयां और आर्थिक संघर्ष होंगे उनको सरकार रोकेगी। उदाहरण के लिय मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों की तरफ से कुदाल सेना बनाई गई है जो जमीन और नहर बनाने के काम को ले कर पूर्णियां में और दूसरी जगहों में आर्थिक मूवमेंट करना चाहती है। इस कानून से यह होगा कि यह इस तरह की आर्थिक लड़ाई को रोकने के लिय एक हथियार बन जायेगा। इस लिये क्लाज (2) में आप को साफ कर देना चाहिए, यदि आप साम्प्रदायिक बातों को लेकर दंगे रोकना चाहते हैं, कि आर्थिक बातों का विरोध शांतिपूर्ण होगा तो उस पर यह रोक नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि क्लाज (2) में जम्मू और काश्मीर नही आता है। यह बात कई दफा उठाई गई है। क्लाज (2) में लिखा हुआ है कि :

> "Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir".

कल काश्मीर के नरेश जो थे वह कह रहे थे कि हम हिन्दुस्तान की यूनियन में चले आय हैं और हिन्दुस्तान का अंग हो गये हैं। लेकिन जब कानून बनते हैं—मेरे मतानुसार कानन खराब है, लेकिन यह निर्णय लिया गया तो क्या काश्मीर आपके दिमाग से बाहर है? क्या काश्मीर हिन्दुस्तान के बाहर है? यह जो दिया गया है संविधान में काश्मीर के बारे में उस को हटाना चाहिए। अभी भी जो आप का कंसेप्ट है हिन्दुस्तान की इंटग्रिटी का वह साफ नहीं है। वावजूद विधेयक के खराब होने के चूंकि काश्मीर को इस के अन्दर नहीं लाया गया है यह संविधान के खिलाफ है।

इन दो बातों के कारण मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस को वापस ले ले।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): My party opposes the introduction of this Bill and it should be withdrawn because there are sufficient laws and enactments with which, if they wanted to do away with communalism, they could tackle it effectively. This will definitely be misused for political advancement of the ruling party. Today there is a deep penetration in the services, in the army and the police and also in the civil administration by communalist forces. By mere enactment, they cannot do everything. My party opposes it and requests the Government to withdraw this Bill.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Guddalore): I had given notice to oppose the Bill, but after hearing the arguments of the Jan Sangh leader that the Bill is aimed at communal organisations like the RSS and Shiva Sena, I do not find any reason to oppose the introduction of this Bill. Mr. Vajpayee was saying that it is aimed at DMK also. He need not worry about us. We know how to protect ourselves. I neither oppose nor support it.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): Under article 19, certain rights have been guaranteed to every individual. This Bill is going to be used not only against individuals but also against associations etc., that are going to be formed by individuals. This is against the right to freedom guaranteed in the Constitution.

This morning you heard about Manipur and Tripura. You might also have heard of the contrivance that was employed by the ruling party on the 21st with a view to getting the same item put off. They did that. I am particularly mentioning it because this happened just now.

On that day they tried to gag Parliament and did succeed in gagging it. Now it is going to be another dictatorial measure to gag the Constitution. Therefore my Party is totally opposed to the introduction of this Bill.

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr. Speaker, Sir, I agree with what my hon. friends, Dr. Ram Subhag Singh and Shri Atal Bihari Vajpayee, have said. There are parties now, like the Naxalites and various other people, who openly go about saying that it is their creed to commit murders for political as well as economic purposes. They are not named. But they imagine that there are some people who are somewhere burrowing down and they want to ferret them out. Therefore they want to take for themselves arbitrary powers.

We had been demanding that there should be an emergency declared in areas, like West Bengal, where political murders, according to their own Government reports and Governors's reports, are taking place almost every day. Yet, nothing has been done by the Government.

Then, these various senas have come up from Shiv Sena right down to some Gopal Sena. Recently, the mulki creeds are also coming up from Assam right down to South India. All these are coming up as disruptive forces and the Government is not interested in banning or controlling them or do anything like that.

They want to take these wide powers in the same way as the British people tried to do through the Rowlatt Act, You know, what has happened to the Rowlatt Act. If all these parties are opposed to this Bill, this will also become a dead letter, let me tell you.

This Government cannot be trusted for various reasons. One reason has been advanced by Dr. Ram Subhag Singh. It has been using whatever powers it has had in a discriminatory manner. It has also failed to use them in order to shield some of their political friends and allies. Then, it is a minority government.

[Shri Ranga]

Under these circumstances, the proper thing would have been to follow the precedent that has already been estabilshed earlier by the previous two Prime Ministers. When such a legislation was sought to be introduced, when such controversial problems were sought to be settled, they used to invite the leaders of all political parties, seek their advice, formulate their legislative and administrative proposals only thereafter and place them before this House. No such thing has been done.

They may say that they have consulted the National Integration Council.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They did not consult it.

SHRI RANGA: They did not consult even that one. But even if they had consulted that, we would have taken strong objection because of the manner in which the National Integration Council came to be constituted. So far as we, the Swatantra Party, are concerned, we refused to join it. I think, the SSP also has refused to join it. Therefore, we are not a party to any decision they might have taken or to any discussion they might have indulged in. But we are told that they have not even had any discussion.

Under such circumstances, how is it possible for this House or any party within this House to trust this Government and empower it with these powers? They might say that these powers are needed by Government as such and that today there is this minority government but tomorrow there may be a coalition government, a majority government and so on. Let them then wait in patience just as we are waiting till the next general election when either a government comes enjoying a clear majority or a coalition government comes into existence having a definite and effective majority behind it. Having won and demonstrated the confidence of the people, it would be open to that government to introduce a legislation like this. If, on the other hand, the Government is really sincere, honest and wish to exercise such powers in a patriotic manner, let them, first of all, declare unlawful from every political platform and from the legislative point of view let them explore every possibility of declaring the Naxalites and other people, who are going about professing their faith in political murders, in looting, in arson, in allowing their faith in Mao Tse-Tung, not in our Constitution, in saying that they are out to destroy Constitution, democracy and Parliament. Let them come forward with that. Then, we will have some respect for them and we can be expected to repose some confidence in them however transitory it may be. But as long as they are carrying on as they are carrying on now, by postponing the discussion or rather by avoiding the discussion on Mr. Prakash Vir Shastri's motion, by not doing anything at all to put down Naxalite violence in the country, it would not be possible for anybody to make a reasonable plea for the support of this Bill in the House.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं इस विधेयक का पूरी ताकत के साथ विरोध करने के लिये आया हूं। कारण मैं बताता हूं। व्यक्तिगत आजादी पर किसी भी बहाने से कोई भी सरकार अगर आक्रमण करेगी चाहे नक्सलपंथियों के नाम पर, शैतान के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर, कम्युनिज्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर या किसी भी नाम पर तो उसका मैं यहां विरोध करने के लिये आया हूं। चूंकि यह संविधान का मामला है इसलिये हम चाहते हैं कि जरा यह सदन इसकी संवैधानिकता पर गौर फरमाये, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नही है।

मैं मानता हूं कि सरकार ने संविधान में जो समान सूची है, तीसरी सूची है उस में एंटरी नंबर 1 जो है, उसी के तहत इस विधेयक को पेश किया है। यही मान कर मैं

चलता हूं। अब आप देखें कि लिस्ट नम्बर 3 एंटरी नम्बर 1 इस प्रकार है :

"Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but exculding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II....."

मतलब यह कि लिस्ट 1 और 2 में जो मामले दिए गए हैं उनके अलावा इंडियन पीनल कोड के बारे में भी कोई भी कानून आप बना सकते हैं क्योंकि समान सूची में वे आते हैं। लेकिन आप सूची दो देखें। एंटरी नम्बर 1 यह है। पब्लिक आर्डर साफ लिखा हुआ है और पब्लिक ट्रेंक्विलिटी जिसका मैं अनुवाद करूंगा सार्वजनिक प्रशांति या सार्वजनिक सुव्यवस्था से जुड़े हुए मामले हैं, पब्लिक आर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। कोई मेरी इस बात को काट नही सकता है कि पब्लिक ट्रेंक्विलिटी के संबंध में जितने मामले हैं वे सीधे जुड़े जाते हैं पब्लिक आर्डर से, सार्वजनिक सुव्यवस्था से। इसलिये इस पार्लिमेंट को मेरा पहला आक्षेप है कि इसके बारे में कोई भी कानून बनानें का अधिकार नहीं है। वह राज्यों को दिया गया अधिकार है। इस पार्लिमेंट की लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस के बारे में पहला मेरा आक्षेप यह है कि सार्वजनिक सुव्यवस्था चूंकि राज्यों के तहत विषय है, इसलिय इससे सम्बन्धित अगर कोई कानून बनाना है तो वह अधिकार राज्य विधान मंडलों का है, इस पार्लिमेंट का नहीं है। मैं समझता हूं कि राज्यों के अधिकारों पर और उनकी स्वायत्तता पर आक्रमण करने का हमको कोकोई अधिकार नही है।

मेरा दूसरा आक्षेप यह है कि यह जो विधेयक है, यह संविधान में जो बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन से टकराता है। इसलिय मैं कहूंगा कि संविधान की धारा 13 के तहत पूरे राज्य और ये सदन और पार्लिमेंट भी इसी में आता है, को कोई अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून वह बनाए। आप इसकों लाकर एक तों राज्यों के अधि कारो पर अतिक्रमण कर रहे हैं और दूसरे ...

श्री रणधीर सिंह : आई० पी० सी० सैंट्रल एक्ट है।

SHRI MADHU LIMAYE: It says:

" . . .including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but exculding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II . . ."

यह पब्लिक आर्डर के संबन्ध में आफेंस है। इसलिए आप को अधिकार नही है। ...(**व्यवधान**)....अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मैं यह बात कह चुका हूं। इसी बात को दुबारा रीपीट करने से क्या फायदा है?

तो मेरा दूसरा आक्षेप है कि बुनियादी अधिकारों के ऊपर आक्रमण करने वाला कोई भी विधयक संविधान की दफा 13 के तहत हम पास नही कर सकते। अब आप पूछना चाहेंगे कि मौलिक अधिकारों पर आतिक्रमण इस में कहां है? वह मैं एक मिनट में साबित करता हूं। इस को लेकर मेरे तीन आक्षेप हैं।

एक आक्षेप यह है, और इस लिए मैं लड़ रहा हूं, जेल जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहा हूं और वही काम यहां भी करने जा रहा हूं—पहला आक्षेप यह है इस विधेयक के खिलाफ अति-व्याप्ति का जिस का मतलब है कि यह विधेयक ओवर-इन्क्लूसिव है। इस में ऐसी चीज है कि जो मौलक अधिकारों से टकराती है। उन को रखने का अधिकार

[श्री मधु लिमये]

आप को नहीं है। मौलक अधिकारो से जहां टकराव नहीं है वहां कानून बनाएं। लेकिन ऐसा कानून बनाएंगे ओवर इन्क्लूसिव जिस से संविधान की धारा 19 (1) (ए); (बी); (सी); के तहत वाणी की स्वतंत्रता प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार और परेड या व्यायाम भी उसी में आ जाएगा अगर सार्वजनिक जगह पर है, उस के ऊपर आक्रमण होगा तो मेरे 19 (1) ए, बी, सी, के जो मौलक अधिकार हैं वाणी स्वतंत्रता के, प्रदर्शन आदि करने के, संघ स्वतंत्रता के और तमाम हिन्दुस्तान में घूमने के, इन अधिकारों का अतिक्रमण होगा और वह इसमें हो रहा है।

दूसरा मेरा आक्षेप है कि आप देखिए इस की परिभाषा।

"engages or participates in any exercise, movement, drill or other similar activity, which, for any reason whatsoever, causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of any religious, racial, language or regional group or caste or community and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility."

तो मेरा दूसरा आक्षेप है कि इस में संदिग्धता है, ऐम्बिगुइटी है, निश्चितता नहीं है। अगर असंदिग्ध, स्पष्ट, निश्चित कोई कानून आप ले आते तो उस के बारे में हम सोचने के लिए तयार थे। लेकिन इस में संदिग्धता है, स्पष्टता का अभाव है, निश्चितता का अभाव है।

तीसरा मेरा आक्षेप यह है कि संविधान के अन्दर न केवल हम को प्रक्रिया संबंधी संरक्षण मिला है, उसी जगह हम को यह भी संरक्षण है कि नये नये अपराधों को मनमानी ढंग से आप निर्माण न करें। कल आप यह कानून ले आएं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ जो भी बोलेगा वह इण्डियन पीनल कोड के तहत अपराध बन जाएगा तो कहां रहेंगे हम लोग? लोकतन्त्र चल नहीं पाएगा। मैं आप का ध्यान 124 (ए) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध को लेकर 6 साल की सजा हुई थी। प्रिवी कौसिल तक मामला गया था और 124 (ए) आज भी आप के इण्डियन पीनल कोड में मौजूद है :

"Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in India shall be punished with imprisenment for life."

अध्यक्ष महोदय, हम सरकार के प्रति जनता में कंटैम्प्ट की भावना क्यों न पैदा करें? एक कोई वजह आप बताइए। क्या लोकतन्त्र के लिए यह जरूरी नहीं है। मैं सरकार और राज में, सरकार और राष्ट्र में फर्क कर रहा हूं.....

एक माननीय सदस्य : पार्टी और सरकार में करिए।

श्री मधु लिमये : मैं आ रहा हूं उस पर। व्यक्ति, दल, सरकार, राज्य और राष्ट्र अलग अलग कल्पनाएं हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, मैं फासिस्ट देश की बात

नहीं कर रहा हूं, फासिस्ट देश में पांचों कपल्लाएं मिल जाती हैं, व्यक्ति हिटलर है, दल नात्सी पार्टी है, वही सरकार है, वही राज्य है, वही राष्ट्र है। लोकतंत्र में यह नहीं है। लोकतंत्र में आप यह कह सकते हैं कि संविधान के प्रति वफादार रहो। राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। राज्य के प्रति भी कुछ मामलों में मैं कह सकता हूं कि रखो। राज्य मतलब स्टेट। लेकिन सरकार के बारे में आप अप्रीति पैदा मत करो, सरकार के बारे में रिडिकुल या कंटेम्प्ट की भावना पैदा मत करो—मैं तो अपने हर भाषण में करता रहता हूं, मैं आप को चुनौती देता हूं कि मैं हर भाषण में वर्तमान सरकारों के प्रति चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो अप्रीति पैदा करने की कोशिश करता हूं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन इस में कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है मिर्धा साहब से कि आप जो कर रहे संविधान का, लोकतंत्र का, कानून के राज का गला घोटने का काम करन जा रहे हैं और आज मैं अपने दोस्तों को भी चेतावनी देना चाहता हूं। यहां अनलाफुल ऐक्टिविटीज बिल आया। हमारे बलराज मधोक साहब आज कहां है? अटल जी को तो हम समझा रहे थे कि इसका विरोध करो और उन्होंने विरोध किया। लेकिन बलराज मधोक साहब— यह लिखी हुई बात है प्रोसीडिंग्स में, चव्हाण साहब की तारीफ कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। उसी समय मैंने वार्न किया था। यह रेकार्ड पर है। अभी भी नक्सलवादी नक्सवादी आप लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि नक्सलवादी हो, शैतान हो, पापी हो, जो भी हो, किसी की भी व्यक्तिगत आजादी के ऊपर जब तक वह कोई अपराध न करे, कार्यवाही करने की बात न सोचिए। आज आप की नौबत आयेगी, कल मुस्लिम लीग की आ सकती है, परसों किसी और की आ सकती है। इसलिए मैं और मेरी पार्टी, में अपने नेता को याद करते हुए आज यह कहना चाहता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया के नाम पर तमाम ऐसे कानूनों का विरोध में करूंगा जो व्यक्तिगत आजादी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर आक्रमण करने का काम करेंगे।

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Dange wants to speak. He has asked for your permission.

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South): I am not speaking much; I am making a statement on behalf of my party.

Sir, as regards the objectives of the Bill, we are in agreement with the objectives.

But then, the actual formulation of the Bill gives such wide powers that I am afraid that all Trade Unions or other organisations undertaking even illegal strikes will be scared and hauled up under this. And, before the Courts, we cannot go and say: "The objective was like this." The Courts do not take note of this.

Therefore, this is a sweeping attack on the right of organisations which is guaranteed under the Fundamental Rights.

Therefore, this is a sweeping attach the Government really wants to limit itself to the objectives which are given here, of banning communal organisations and strikes, in that case, let them first consult the Political Parties and bring out a new Bill.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Please let me have my say. You have permitted even those who have not written to you. (*Interruption*). I have a submission to make. You have allowed almost all the leaders and representatives of the different parties and one party must not go *in absentia* and they should also be allowed to give expression to their views in this House.

MR. SPEAKER: Are you going to speak on behalf of your party, or on certain objectives?

SHRI SAMAR GUHA: On behalf of my party.

MR. SPEAKER: I did not know that your party had not got time. This is an exceptional case. On these matters, where objections are raised, only those Members who send their names to me, will be allowed, and I am not going to allow this thing in future. Yes, you may do it in a minute. You will be given some other time for a long speech, but not now.

SHRI SAMAR GUHA: It seems to us, I mean, my party, that the Government has almost lost faith in itself and also, perhaps, in the people of India. Otherwise, such a special Bill could not have been introduced in this House. We are certainly opposed to all communal activities by any communal party or parties. Not only our party but almost all the other parties had expressed their opinion that serious steps should be taken against communal activities and against communal parties. If a Bill of this sort is brought forward, then the first requirement is to define what communalism is and which are communal parties and what constitutes a communal activity.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Ruling Congress is the most communal party.

SHRI SAMAR GUHA: It is, therefore, absolutely necessary that there should have been a meeting of the representatives of all the parties. As far as I remember, in the course of a discussion here and perhaps also in reply to a question, the hon. Minister was saying that the National Intergration Council was discussing the matter with a view to define which were communal parties and what action constituted to communal activity.

I would again repeat that the PSP is wholly opposed to any kind of communal activities and will stand by the Government to curb communal activities by stringent measures but such a measure should have the consenous of the House in its favour.

This Bill is not only against our Constitution, but if it is accepted and enacted, I have no hesitation in saying that it will lead to a dangerous opening for establishing a totalitarian system in our country. This is not only compromising the Fundamental Rights that have been enjoyed by the people and by the political parties, but under the special powers envisaged in this Bill, even a slight indication, or the twist of an eye or the twist of the body or even raising a finger may give a plea to Government to curb the vital right of the people to have association and to have free expression. Therefore, my party is opposed to the introduction of this Bill. As I have said already, this will be a dangerous opening for enforcing a totalitarian system on the democratic people of our country.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): You had permitted Shri Samar Guha to speak. Why do you not allow me also to speak for a minute?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Only those who want to oppose are allowed to speak.

SHRI INDER J. MALHOTRA: I want to make one observation regarding this Bill.

According to me, this Bill is incomplete in the sense that this does not extend to the State of Jammu and Kashmir. Just as the problem of unlawful activities is there in other parts of the country, likewise this problem exists in Jammu and Kashmir also. Every time an important legislation is brought forward before this House, this Government always

omit the State of Jammu and Kashmir. I want to point this out.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It is not usual that a Bill is opposed at the introduction stage. But since a number of points have been raised, I would like to clarify the position with respect to them.

First of all, I would like to say that this Bill has a very limited purpose and has been brought forward in a very restricted context. The fear of hon. members that trade union activities or strikes declared illegal would also come under its purview is unfounded.

SHRI SAMAR GUHA: How do you say it?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The term 'Unlawful activity' has been defined in the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 which is a very specific definition and is designed to meet only some restricted situations and not any activity which may be declared unlawful under any other law at any other time. This is something very basic. I would like to remove this doubt forthwith. 'Unlawful activity' as defined in the 1967 Act reads:

"Unlawful activity' in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),—

(i) which is intended or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India from the Union or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India".

This is the definition of unlawful activities under this Act and nothing more than this is intended. So this apprehension of hon. members that any activity which is unlawful under any other legislation or in any other context would also be brought under the purview of the proposed amending Bill is not correct. It is a very limited Bill for a limited purpose and it will never be used to cover other situations.

SHRI S. A. DANGE: They are widening it.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The two purposes of this Bill are: one, to widen the definition of unlawful activities.

SHRI S. A. DANGE: Exactly.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: This has been done by amending or rather amplifying sec. 153A of the IPC. A new clause is being added which reads:

"engages or participates in any exercise, movement, drill or other similar activity, which, for any reason whatsoever, causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of any religious, racial, language or regional group or caste or community and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity".

SHRI R. BARUA: (Jorhat): On a point of order.

MR. SPEAKER: There have been enough of them.

SHRI R. BARUA: There is one definition in one Act and another in the IPC. The two are confusing.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: There is no confusion. Sec. 153A IPC is being sought to be amended by adding this sub-clause I quoted. There

[Shri Ram Niwas Mirdha]

is already a definition of 'unlawful association'. At present, it is very restricted. This is being sought to be again widened to include 153A as proposed to be amended in the earlier section.

The basic thing in this Bill is that up till now, certain activities of individuals were regarded as unlawful and were sought to be punished as individual acts; now that principle is being extended to associations and organisations of which such persons are members or where such organisations or associations tend to promote objectives which have been defined as unlawful in this Act. In that respect, I do not think any difficulty arises in the mixing of the two sections, the amendment of two sparate sections under different laws. They are clear enough. So, I want to say very clearly that all unlawful activities defined under various Acts are not covered by this. The unlawful activities which are sought to be brought under the scope of this Bill are in a very limited context which has been specifically defined in this Act. I do not think that anything in the working of the original Act or the amending Bill should give rise to doubts in the minds of hon. Members that it would be used against people's movements or anything like that.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): On a point of order.

SOME HON. MEMBERS: No point of order.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: If you look at the Statement of Objects and Reasons.... *(Interruptions)*.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We protest against this.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Now that the Minister has replied, let the motion be put to vote. *(Interruptions)*.

SHRI RANDHIR SINGH: Our Member must be heard.

MR. SPEAKER: On what are you speaking? *(Interruptions)*.

AN HON. MEMBER: On a point of order. He concluded his speech and he sat down.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: In that case you allow me also to make a speech again.

MR. SPEAKER: When that gentleman got up, I asked the Minister to let me listen to him.

AN HON. MEMBER: He has finished.

MR. SPEAKER: Have you finished?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: No Sir. I was speaking when the hon. Member raised a point of order. You looked at me and it is necessary for me to obey orders. Why should hon. Members not try to listen to me? *(Interruptions)*.

Now I come to another point. It has been said...

SHRI UMANATH (Pudu Kottai): My only point is this. If the ruling party wants that a vote should not be taken before 1 O'clock, let them be frank about it. I object to this. Actually I also noticed that he sat down concluding his speech. Shri Panigrahi got up on a point of order. When the Government found that he could not raise the point of order, the Minister is induced to get up and resume till 1 O'Clock. Then you will adjourn till 2' O'Clock. This is unfair and this tactics should not be adopted. *(Interruptions)*.

MR. SPEAKER: How can you ask the Minister to sit down when he was continuing his speech?

AN HON. MEMBER: No, he had concluded.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: This is mean tactics.

SHRI RANDHIR SINGH: They clamour for freedom of speech. What is the freedom of speech here. We will not allow this to happen. The hon. Minister must be allowed to speak. I protest against this. They are gagging our Members. What is that? .... *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Let the Minister reply.

SHRI SAMAR GUHA: He has concluded his speech. It was the impression in the House. The record will show that

SHRI UMANATH: We shall take this precedent when we want to achieve; such things. You will be faced with similar situations and we shall do the same thing.

SHRI RANDHIR SINGH: Our Ministers are competent. He can speak for hours and hours; he has not concluded. How can you prevent him from speaking?

MR. SPEAKER: Are you helping him by saying that he can speak for hours and hours?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I shall try to be very brief. They have raised many points and they should at least allow me to reply to them.

One point that has been raised is that the Government is assuming powers to ban associations and declare associations unlawful under this Bill. This is not at all the intention of the Government.

SHRI SAMAR GUHA: How many times are you going to repeat it? This is the seventh time you are saying it.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: In the original Act there is a provision when an association can be declared unlawful. A person not less than a High Court Judge will hear the charges and then arrive at decisions. There is no question of Government assuming powers. This is not the seventh time I say so.

The question of legislative competence was raised.

13 hrs.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): Mr. Speaker, you are looking at the watch. We must have voting before we rise.

MR. SPEAKER: Does the hon. Minister want more time?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I have something to say.

MR. SPEAKER: There will be no voting during the Lunch Hour. We had settled it much earlier. When objections were taken by Shri Morarji Desai and others on this side, I declared in this House that when some discussion is going on, and if the lunch hour intervenes—even if we go on discussing—there will be no voting during the lunch hour. So, I now adjourn the House; we reassemble at 2 O'clock. The Minister will continue.

13.01 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

CRIMINAL LAW (SECOND AMENDMENT) BILL—*contd.*

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, let them withdraw the Bill.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Though there can be no two opinions that communal activities should be prevented . . .

MR. SPEAKER: Are you on a point of order, or what?

SHRI SEZHIYAN: I am making a submission. The scope of the present Bill extends to associations also. If we want to protect democracy, we should have domocratic methods to achieve it. Not only that. The present Bill makes inroads into the powers exclusively allotted to the this? (*Interruptions*).

SHRI MORARJI DESAI (Surat): The Minister was replying before lunch, but now somebody is allowed to speak.

MR. SPEAKER: That is why I asked him whether he was on a point of order.

SHRI MORARJI DESAI: But you are allowing him to continue.

SHRI SEZHIYAN: I hope Government will take note of it. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I am very sorry that I have received this note from Mr. Morarji Desai that I deliberately kept the voting postponed. May I tell you that it was only because of the convention established that there should be no division during lunch time? Perhaps there was some misunderstanding that the Minister had sat down. He had not sat down. (*Interruptions*).

SHRI RANGA: We know why these things have been allowed to happen in this manner. It needs no explanation.

MR. SPEAKER: The Minister has not the right to reply.

SHRI RANGA: It is no good inflicting an explanation upon us. We know what happened. We have understood the way in which proceedings are being conducted in this House. Now you ask some other people to go round again..... (*Interruption*).

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: That is a reflection on the Chair.

SHRI S. M. BANERJEE: It is very bad.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Please give a ruling on that.

MR. SPEAKER: I have made my position clear..... (*Interruption*).

श्री शशि भूषण (खारगोन) : मैं भी इस बिल पर अपनी राय देना चाहता था । पहले तो आपने मौका नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि मुझ को इस बिल पर कुछ कहने का मौका दिया जाये । श्री मोरारजी देसाई आप के पक्षपात में जो कुछ कहते हैं उसको वापस लें या उसको साबित करें । मुझे शिकायत है कि हिज होलीनेस मोरारजी देसाई गलत कहते हैं । आप रेकार्ड देखिये । मैं ने आप से कहा था कि मुझ को मौका दिया जाये, लेकिन आप ने श्री पाणिग्रही को भी मौका नहीं दिया ।

SHRI MORARJI DESAI: Not only do I not withdraw it but I maintain it.

MR. SPEAKER: When Shri Panigrahi got up on a point of order I asked the Minister to sit down and to let me listen to Shri Panigrahi. When Shri Panigrahi sat down, I remarked, what is this going on; what is this drama going on? The Minister sat down because I asked him to sit down as I wanted to listen to Shri Panigrahi. There was so much shouting from this side.

DR. RAM SUBHAG SINGH: The Minister of Parliamentary Affairs was hinting for the raising of the point of order..... (*Interruption*).

SHRI RANGA: You cannot expect any cooperation from us if you conduct the proceedings in the manner in which you seem to be conducting them..... (*Interruption*). Is it the right thing to hold the proceedings?

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I am on a point of order.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है ।

श्री शशि भूषण : जो कुछ यहां श्री रंगा ने और श्री मोरारजी देसाई ने कहा है उसमें कोई बेसिस नहीं है । स्पीकर की इन्हें इज्जत करना सीखना चाहिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो कुछ श्री मोरारजी देसाई ने कहा है, जो आरोप उन्होंने लगाया है वह बिल्कुल सत्य है । श्री रघुरामैया ने यह इशारा किया कि प्वाइंट आफ आर्डर उठायें जिसमें 1 बजे से पहले मतदान न हो । श्री मिर्धा अपना भाषण समाप्त कर चुके थे । श्री पन्त... (व्यवधान)

श्री शशि भूषण : श्री मोरारजी देसाई स्पीकर पर चार्ज लगा रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार का षड़यंत्र है ।

श्री शशि भूषण : यह इतना गिर सकते हैं ? झूठ की कोई इन्तहा होती है ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMAIAH): I deny that.

SHRI S. M. BANERJEE: I am on a point of order. Let hon. Members, including Shri Morarji Desai who is very senior, criticize the Minister. I do not mind that. But once the Speaker gives the ruling, that has to be respected. When Shri Morarji Desai was on that side, he was the follower of parliamentary democracy and all these things..... (*Interruption*). Now he has conveniently forgotten everything..... (*Interruption*).

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh): He is conveniently remembering every thing now after being a stooge of Government.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Devils quoting scriptures.... (*Interruption*).

SHRI S. M. BANERJEE: We do not stand so much for parliamentary democracy..... (*Interruption*). People will sweep away these reactionaries .... (*Interruption*).

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: During the course of my reply I had tried to explain..... (*Interruption*).

SHRI MADHU LIMAYE: You withdraw now.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Withdraw it.

श्री हुकम चन्द कछवाय : इसी में सुन्दरता है कि बिल वापस ले लो। सारा देश स्वागत करेगा ।

श्री शशि भूषण : इस बिल में आर० एस० एस० और शिव सेना को बैन करने का जिक्र नहीं है । इस लिये मैं इसका विरोध करता हूं । इस बिल में साथ साथ जमायते इस्लामी, शिव सेना और आर० एस० एस० के दमन का नाम आना चाहिये । बिल को पहले स्पष्ट कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं कहना चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : अगर इस को वापस ही लेना पड़ रहा है बिना एक शब्द और कहे इस को वापस ले लें ।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: So many points were raised in this House and it is not fair to hon. Members who raised them or to the House itself that they should not be replied to. It is in exercise of that right that I started my reply. I had just covered one point and was coming to another when this interruption took place.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah): On a point of order, Sir. We are also of the opinion that the Government should withdraw the Bill.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Hear, hear. You withdraw it. *(Interruptions)*

श्री शशि भूषण : फिर इस प्रस्ताव में आ० एस० एस० को बैन का स्पष्ट जिक्र कर के लायें।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: There are some points made to which I will refer very briefly.

One of them is the point about legislative competence raised by the hon. Member, Shri Madhu Limaye. He said that this Bill is not covered by the Concurrent List but is covered by Entry I in the State List. To that, my reply is that the legislative competence of Parliament in bringing forward this Bill is well established. We are bringing this amendment to the Act which has already been passed by Parliament. This is an amendment to Section 153A of the Indian Penal Code which was passed by this House. Whatever we are doing is covered by the Concurrent List, items 1 and 2. We have the legal competence not only to consider but pass the Bill.

Another point that was raised was about the constitutional validity, that fundamental rights are being ignored or being eroded by this amendment. This is hardly a time when we can discuss whether fundamental rights are being ignored or eroded. But I would say respectfully that whatever provisions exist in the Bill are very reasonable and within the legislative competence of this House.... *(Interruption)*

SHRI RANDHIR SINGH: When it is the wish of most of the Members on the Treasury Benches to withdraw the Bill, why don't you withdraw it?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Because many charges have been brought against the Government, that it is politically motivated, that the Government are doing something which is unconstitutional, undemocratic and all that, I would not like the charges to go un-rebutted. I want to make the the records straight. That is why I am trying to reply to the points raised.

As to whether we should proceed with the Bill or not, as I stated earlier, it is neither undemocratic nor unconstitutional. But in view of the feelings that have been expressed by the hon. Members in the House, I am not pressing for it now. We would like to initiate discussion with all responsible sections of the House and bring the Bill in a proper form.

SEVERAL HON. MEMBERS: Hear, hear.

MR. SPEAKER: You have really become very happy.

Are you withdrawing it?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I am not pressing for it.

DR. RAM SUBHAG SINGH: There is no question of withdrawing the Bill. He was not given the leave to introduce the Bill.

MR. SPEAKER: Not the Bill. The motion was that the leave be granted to introduce the Bill. Are you withdrawing the motion?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Yes.

MR. SPEAKER: Has he the leave of the House to withdraw the motion?

HON. MEMBERS: Yes.

The motion was, by leave withdrawn

MR. SPEAKER: Thank God something good has come out of it. Otherwise, you were not sparing the Speaker even. You are all mature people. My job is also very difficult. When Shri Panigrahi got up on a point of order, I asked the Minister

to sit down. May I clear the position? When he was speaking, a Member intervened, but I had to ask him to move it because he was already moving. How can I avoid doing it? I am so sorry and in the lunch hour we have the convention already on the suggestion by Mr. Morarji Desai himself that there should be no voting during lunch hour. (*Interruptions*) Last year I allowed one motion in the House during lunch hour. There was a suggestion from him and I put it to the House that there was a suggestion by Mr. Morarji Desai that no voting should take place during lunch hour and the same people are accusing me now. That is very bad.

Now for this motion by Mr. Kanwar Lal Gupta, the time allotted is 4 hours.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Sir, we have taken even the time allotted for other business. May I, therefore, request you to reduce the time for this discussion?

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. SPEAKER: The House does not agree to it. So, Mr. Kanwar Lal Gupta to open the debate.

श्री मधु लिमये : राव साहब मेरी मांग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। लेकिन बीच में मैं कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सका। मैं एक बात की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में गंगा में जो बाढ़ आई उसकी वजह से तेजी से कटाव हो रहा है और चार-पांच साल से यह चला आ रहा है। वहां के अधिकारियों ने हम को वचन दिया था कि 1970 के प्रारम्भ तक इन लोगों के पुनर्वास का इंतजाम कर दिया जायेगा। मुंगेर, मुफस्सल थाना, जमीन डिग्री दियारा के लोगों की दयनीय दशा की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके की जनता न केवल बाढ़ से पीड़ित है बल्कि अकाल से भी पीड़ित है (इंटरप्शंज) .. मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर बोल रहा हूं। पूरे सत्र में मैं भाग नहीं ले सका हूं। अब एक मिनट तो ले लेने दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करके वह राहत का तत्काल काम करें।

अध्यक्ष महोदय : आप कह लें। मैं इसलिए आपकी तरफ थोड़ा सा लीनियेंट हूं कि आप सत्र में भाग नहीं ले पाये हैं। जितनी देर आप बाहर रहे, उतनी कमी मैं पूरी करवा दूं लेकिन अब उतना समय नहीं है।

SHRI S. KUNDU (Balasore): One minute, Sir. I have already written to you. I am sitting here right from the morning till this time to raise two points. So, I beg of you to allow me one minute.

MR. SPEAKER: On what?

SHRI S. KUNDU: About the Press Council's recent decision against the Haryana Government. You know, Sir, I raised this matter here. The Press Council has indicated the activitie of the Haryana Government so far as the TRIBUNE matter is concerned. You know, Sir, that Government advertisements to the TRIBUNE were stopped by the Haryana Government and their vehicles were prosecuted and a lot of trouble was given to them because the TRIBUNE did not agree with the Haryana Government. The Press Council has indicated the Haryana Government for it and disapproved of its activities. he Government is throwing cold water over it. They have not made up their mind. They are saying 'We will be examining it'. Sir, this is a very important matter which affects the freedom and liberty of the Press.

श्री रणबीर सिंह : आप कुछ कहेंगे और हम कुछ और कहेंगे । इस वास्ते झगड़ा क्यों कर रहे हैं ? आप एक बात कहते हैं, हम दूसरी कहते हैं ।

SHRI S. KUNDU: One minute, Sir, I won't take much time.

SHRI PAL RAJ MADHOK (South Delhi): The State Government has flouted the verdict of the Press Council. If State Governments flout the verdict of the Press Council, how can you force individual papers to honour the verdict of the Press Council? Therefore, if the Press Council is to play its role to ensure the freedom of the Press, then the State Government must be forced to accept its verdict.

अध्यक्ष महोदय : तीन-तीन, चार-चार अगर इस तरह इकट्ठा बोलेंगे तो किसी की बात भी समझ में नहीं आयेगी । . . (**व्यवधान**) . . उन्होंने कह दिया तो ठीक है, आप का व्यू प्वाइंट आ गया ।

SHRI BAL RAJ MADHOK: Let Government make a statement.

SHRI S. KUNDU: It is a very important matter.

अध्यक्ष महोदय : अब देखिये जो चाहते हैं इंटरप्ट कर देते हैं । आज लास्ट डेट है इसलिए मैं थोड़ा लीनिएंट हूं लेकिन . . (**व्यवधान**) . . . .

SHRI SHRI CHAND GOYAL: So far as *Tribune* paper is concerned, Sir, please permit me to say something. *Tribune* is a paper which is published from Chandigarh. There was a Calling Attention in the other House and the other House has discussed it. It is really rather unfair that this House has not got the opportunity to discuss this *Tribune* matter. We read in the papers every day that the verdict of the Press Council is being by-passed by the Haryana State Government. Something must be done immediately to remove the lacuna in the law so that the Government can take action against the erring States. This is a very important matter. I wish that something must be done. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I am on my legs.

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर फुल डिबेट होनी चाहिए । आज नहीं तो अगले सेशन में हो । . . . (**व्यवधान**) . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अगर इस तरह साथ-साथ बोलेंगे तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, रेकार्ड पर कुछ नहीं जायेगा ।

SHRI S. KUNDU: About that point, I was telling you, this is an important matter. May I request you to ask Government to make a statement before we adjourn today?

Secondly, there is one important matter. I have been writing to you. One Chief Justice of High Court**.

MR. SPEAKER: I had not given you general permission for all the subjects.

SHRI S. KUNDU: I said I will raise two matters. I want to raise two matters.....

MR. SPEAKER: No, no. You have made a reference; that is all. Not more than one subject at a time. Kindly sit down.

SHRI S. KUNDU: You will appreciate the point; I am sure, you will appreciate . . .

MR. SPEAKER: I am forced to appreciate; there is no other alternative, except to appreciate, if you do like this.

श्री कंवर लाल गुप्त : यह फ्री फार आल आखीर मे होता है । बीच मे मत कराइये आप ।

**Not recorded.

SHRI S. KUNDU: You may kindly hear me for half a minute. This is a modern way of devising certain method for defaming a judge of the High Court**

MR. SPEAKER: May I request you to take your seat?

SHRI S. M. BANERJEE: The name of the Judge should not be mentioned.

श्री गुणानंद ठाकुर (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे भी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं खड़ा हूं । यह क्या करते हैं आप ?

देखिये आप जब यह मोशन लाये थे तो मैं ने यह भी कहा था, कि हाई कोर्ट के जज के कांडक्ट के बारे में स्पेशल प्रोसीजर है । यह नहीं कि जब जी में आया ले आये । प्रासीजर के जरिये आयेंगे तो देखेंगे... (**व्यवधान**) ....

SHRI S. KUNDU:**

MR. SPEAKER: What he said will not go on record. So far as the conduct of judges is concerned, nothing will go on record.

श्री गुणानंद ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में इस बार बाढ़ से बड़ी भयानक बरबादी हुई । जब डा० के० एल० राव वहां गये थे तो उस समय हम लोग जेल मे बन्द थे और उस क्षेत्र के लोग हजारों की तादाद मे सत्याग्रह कर रहे थे । लेकिन मंत्री जी रास्ते से लौट आये हैं । तो मैं चाहता हूं कि डा० के० एल० राव साहब कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दें कि कोसी तटबंध के भीतर जो दीन अनाथ लोग परेशानी मे पड़े हुए हैं पन्द्रह वर्षों से उनके सम्बन्ध मे वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?.. (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जो लोग तो जेल से हो कर आये हैं उन को तो मैं सोचता हूं कि कुछ बोल लेने दूं । वह भी हो कर आये हैं और यह भी हो आये हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं जेल के नाम पर नहीं चाहता हूं... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : आप ठहरिये अभी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने ट्रिब्यून का मामला यहां उठाने की इजाजत दी. . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो जबर्दस्ती ले आते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज आखीरी दिन है, अन्यथा हम इस पर चर्चा रखने की मांग करते । आप को याद होगा प्रस कौंसिल का बिल इस पार्लियामेंट ने पास किया है । यह सर्व सम्मति से पास हुआ था और जब हम विचार कर रहे थे कमेटी में तो उस समय के सूचना मंत्री श्री के० के० शाह ने यह आश्वासन दिया था कि प्रेस कौंसिल के निर्णय बाध्य होंगे । केन्द्रीय सरकार इनको मानेगी और राज्य सरकारों को भी इन को मानना होगा । अब हरयाणा की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है । उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है, ट्रिब्यून के साथ अन्याय किया है । यह कहना तो ठीक है कि राज्यों के अलग अलग अधिकार हैं । मगर यह बात हम नहीं भूल सकते कि हरयाणा में भी उसी दल की सरकार है जो दल केन्द्र में सरकार चला रहा है तो पार्लियामेंट के दबाव के साथ-साथ दल का भी दबाव लाना चाहिए राजनैतिक स्तर पर जिस से प्रेस कौंसिल का निर्णय माना जाय और ट्रिब्यून के साथ न्याय हो सके ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह कोई मसला आयेगा कि किसी एक ने कहा थोड़ा सा, उस के बाद दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा और इस तरह करते करते बहस छिड़ चली तो काम नहीं चल सकता ।

I am not going to allow anybody else to speak now.

SHRI S. KUNDU: Now, you can realise the importance of the matter that I raised. I would request you to ask the hon. Minister to make a statement on this.

MR. SPEAKER: Now, Sir Kanwar Lal Gupta. (*Interruptions*).

Nothing will go on record unless it be on the next item. Nothing will be recorded in between the items. Nothing will go on record in between.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: **

अध्यक्ष महोदय : वैसे स्पीकर के लिए यहां बताना आवश्यक नहीं है किसी एडजर्नमेंट मोशन के बारे में जो स्वीकार नहीं हुआ हो लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि श्री शिवचन्द्र झा का क्या एडजर्नमेंट मोशन है । इन का एडजर्नमेंट मोशन है कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान क्यों नहीं डिस्कस किया गया । दूसरे दिन दूसरे माननीय सदस्य का था कि उनका विषय क्यों नहीं एजेंडे में रखा गया । रूल्स में अगर एडजर्नमेंट मोशन की डेफिनीशन बदलनी है तो बदल दे लेकिन इस तरह इसकी मिट्टी पलीद मत करें ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं दस बार उठने का आदी नहीं हूं, लेकिन आप ने कहा. . . . . (**व्यवधान**) . . . या तो आप अपने कथन का पालन करिये मा अपना कथन वापस लें लीजिये मैं बठ जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

14.30 hrs.

RE: VOTING ON CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

SHRI MORARJI DESAI (Surat): There is a very important matter which has to be raised. In yesterday's voting, this is what has happened as recorded by the voting machine. This is a very serious matter. (*Interruptions*). It is a matter of the Lok Sabha voting (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह बात आई थी, मैंने पूरी तसल्ली से कल इस को चेक-अप करवा कर, फिर वोटिंग करवाया था । मैंने यह भी कहा था कि अगर फिर भी किसी को शिकायत है, अगर किसी का नाम उसमें नहीं आया है, तो मुझे बतायें, लेकिन मेरे पास किसी एक मेम्बर की भी शिकायत नहीं आई है कि उसका नाम इसमें नहीं आया. . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : लेकिन इसमें ऐसा हुआ है ।

This is the record of your Secretariat. This is not our record. Kindly allow us to read the numbers.

MR. SPEAKER: I have already seen it.

मेरे पास किसी की शिकायत नही आई है. . .

श्री शशि भूषण (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट एजेण्डे पर नहीं है. . . .

SHRI MORARJI DESAI: This is what happened: Division numbers 123, 262, 323, 363 and 382 recorded their votes for 'Ayes' through tellers, but their votes had already been recorded by the machine. This is double voting.

MR. SPEAKER: I got it checked up. Everything was correct. I later on asked members.

अगर किसी का नाम नहीं है तो मुझे बतलाइये ।

**Not recorded.